न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 160/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मदनदास पुत्र मोहनदास जाति साद निवासी उदेशी कुआं तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. ओमसिंह पुत्र बादरसिंह 2. दरीया कंवर पत्नि मोहनसिंह 3. प्रभूसिंह पुत्र बादरसिंह 4. महेन्द्रसिंह पुत्र बादरसिंह 5. शैतानसिंह पुत्र बादरसिंह 6. शेरसिंह पुत्र बादरसिंह 7. समन्दरसिंह पुत्र मोहनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण उदेशी कुआं तह0 सोजत जिला पाली राज0। 8. गुलाब खां पुत्र गीगा खां जाति तेली मुसलमान निवासी उदेशी कुआं तह0 सोजत जिला पाली। 9. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री अरविन्द सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1, 3 से 6 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 03/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम उदेशी कुआं, तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 419/1034 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.4100 हैक्टर की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा संख्या 420 रकबा 0.6100 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 8 गुलाब खां की कृषि भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 405 रकबा 2.0500 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 ने नाजायज गिरोह बना रखा है। प्रार्थी के खेत के उत्तर व पश्चिम दिशा में माठ रखी थी जो उक्त अप्रार्थीगण ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश पूर्वक माठ को तोड़ कर दिया है। प्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन किया गया कि मुझे मेरी भूमी का सीमांकन व पत्थर गढी करवानी है पटवारी हल्का या रेवेन्यू टीम से नाप चौक करवाकर मुझे मेरी भूमी पर फसल की रखवाली करनी है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 किसी भी तरह से मौके पर नाप चौक करवाने हेतु तैयार नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी की इन्च मात्र भूमि की आवश्यकता नहीं है न ही प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता हैं, उल्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते हैं तथा आये दिन पुलिस कचहरी का डर दिखाकर धमकाते हैं तथा जान से मारने की धमकीयाँ भी अप्रार्थीगण के द्वारा दी जा रही हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खेत की उत्तरी व पश्चिमी दिशा में की गई माठ को बिखेर देने से प्रार्थी की उत्तरी व पश्चिमी दिशा की माठ आज भी खुली पड़ी है जिसकी वजह से आए दिन मवेशी गाय, भैस वगैरा प्रार्थी के खेत में घुस जाते है तथा प्रार्थी के द्वारा बोई हुई फसलो को नुकसान पहुंचाते है। प्रार्थी अपनी फसल बचाने हेतु अपनी कृषि भूमि की नाप चौक कर पुनः तारबंदी/माठ/दीवार बनाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी के खेत एवं अप्रार्थी के खेत की सीमा को कायम करवाना आवश्यक है, अर्थात् सीमाज्ञान व पत्थर गढ़ी के पश्चात् प्रार्थी अपने खातेदारी कृषि भूमि की सीमा में तारबंदी/दीवार/माठ का निर्माण कार्य करवा सके। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के

उप खण्ड अधिकारी

सीमांकन हेतु तहसीलदार सोजत को पूर्व मे एक आवेदन दिनांक 18/06/2024 को पैमाईश हेतु पेश किया है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भूमि विवादित होने के कारण नापचौक करने से मना कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 9 को कृषि भूमि की पैमाईश हेतु वार बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा आज दिन तक प्रार्थी की भूमि का पैमाईश नहीं किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेश कर भारी पुलिस ईमदाद के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 419/1034 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.4100 हैक्टर का सीमाज्ञान, पत्थर गढी रेवेन्यू टीम मय तहसीलदार, आर० आई० व पटवारीगण से करवाया जावे अर्थात प्रार्थी की कृषि भूमि की चारो माठो को कायम किया जाकर नेकम कायम किया जावे तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो और तारबंदी पत्थर गढ़ी, सिमेन्ट के पिलर/दीवार लगाए जाने का आदेश किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 2, 7 से 9 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण सं0 1, 3 से 6 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भारी पुलिस ईमदाद के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 419/1034 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.4100 हैक्टर का सीमाज्ञान, पत्थर गढी रेवेन्यू टीम मय तहसीलदार, आर० आई० व पटवारीगण से करवाया जावे अर्थात प्रार्थी की कृषि भूमि की चारो माठो को कायम किया जाकर नेकम कायम किया जावे तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो और तारबंदी पत्थर गढ़ी, सिमेन्ट के पिलर/दीवार लगाए जाने का आदेश किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी सं0 01, 3 से 6 ने व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा झूठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खेत की मांठ को लेकर कोई विवाद नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रा0पत्र पेश किया है। जो कतई स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रा0पत्र मय शपथ पत्र तथा पटवारी हल्का की मौका फर्द से यह साबित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 419, 419/1034, 405, 420 की कृषि भूमि का पक्षकारों के मध्य विवाद हैं। अतः प्रस्तुत दस्तावेज तथा बहस वकुलाय के आधार पर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा उदेशी कुआं तह0 सोजत के खसरा संख्या 419, 419/1034 की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: आदेश:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा उदेशी कुआं तह0 सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 419/1034 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.4100 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर

नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को सरे इजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत